न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सख्या : 12/34/21
तारीख दायरा : 22.12.2021

उनवान

1. संतोष सिंह पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सालोली तहसील रैणी जिला अलवर।

.....अपीलाण्ट।

बनाम

1. ग्राम पचांयत सालोली पंचायत समिति रैणी जिला अलवर।
2. तहसीलदार रैणी जिला अलवर।

.....रेस्पो0।

(अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.06.1995 इतंकाल सख्या 132 ग्राम पंचायत सालोली)

उपस्थित – श्री शिवसहाय मीना एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 23.09.2022

अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलान्ट के पिता महेन्द्रसिंह पुत्र रणधीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सालोली तहसील रैणी जिला अलवर का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी अपीलान्ट के पिता महेन्द्र सिंह हाल आराजी खसरा नम्बर 561/0.55, 564/1.55, 593/872/0.32 किता 3 रकबा 2.42 है0 वाके ग्राम सालोली तहसील रैणी जिला अलवर का सालिम का, आराजी खसरा नम्बर 360/0.44, 361/0.39, 362/0.41, 363/0.41 किता 4 रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम सालोली तहसील रैणी का 1/4 हिस्सा का तथा आराजी खसरा नम्बर 676/0.40 है0 वाके ग्राम सालोली तहसील रैणी जिला अलवर का खातेदार काश्तकार था। प्रार्थी अपीलान्ट के पिता महेन्द्र सिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण संख्या 132 दर्ज किया गया, जिसमें पटवारी हल्का द्वारा सहवन से अपीलान्ट का नाम संतोष सिंह के स्थान पर सन्तूसिंह दर्ज कर दिया और ग्राम पंचायत सालोली के तत्कालीन सरंपच द्वारा दिनांक 23.06.1995 को स्वीकार किया गया। जिस नामान्तकरण के निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट की और से अपील निम्न वजुवहात के साथ पेश की है कि पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के अपीलान्ट के पिता मृतक महेन्द्र सिंह की विरासत का नामांतकरण दर्ज करते समय मृतक के वारिसान प्रार्थी अपीलान्ट के नाम व पता की पूर्ण जॉच पडताल नही की गई। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट का नाम उक्त नामांतकरण में संतोष सिंह के स्थान पर सन्तूसिंह दर्ज कर देने से उक्त निर्णय प्रभावित हुआ है तथा उक्त नामांतकरण

के निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट के हकूक खातेदारी प्रभावित हुये है। इस कारण उक्त निर्णय दुरूस्ती का मोहताज है। उक्त निर्णय अधीनस्थ ग्राम पंचायत सालोली पंचायत समिति रैणी जिला अलवर दिनांक 23.06.1995 बाबत नामान्तकरण संख्या 132 वाके ग्राम सालोली तहसील रैणी जिला अलवर खिलाफ कानून व कयासिया आधार पर आधिनित होने सें रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामांतकरण संख्या 132 वाके ग्राम सालोली तहसील रैणी जिला अलवर निर्णय ग्राम पंचायत सालोली पंचायत समिति रैणी जिला अलवर दिनांक 23.06.1995 को रिमाण्ड किया जावे। प्रार्थी अपीलान्ट का नाम की दुरस्ती की जाकर प्रार्थी का अपीलांट का नाम जो आराजी के रिकॉर्ड में सन्तूसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज है को दुरस्त किया जाकर प्रार्थी अपीलान्ट का सही नाम संतोष सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जाकर प्रार्थी के पिता महेन्द्र सिंह की समस्त आराजी के रिकॉर्ड में जहॉ प्रार्थी अपीलान्ट का नाम सन्तूसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सालोली दर्ज है को दुरस्त किया जाकर प्रार्थी अपीलान्ट का वास्तविक नाम संतोष सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सालोली दर्ज किया जावे।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से कोई उप0 नहीं आया।

योग्य अधिवक्ता अपीलाण्ट को सुना गया। अपीलाण्ट का कथन है है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 561/0.55, 564/1.55, 593/872/0.32 किता 3 रकबा 2.42 है0 वाके ग्राम सालोली तहसील रैणी जिला अलवर का सालिम का, आराजी खसरा नम्बर 360/0.44, 361/0.39, 362/0.41, 363/0.41 किता 4 रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम सालोली तहसील रैणी का 1/4 हिस्सा का तथा आराजी खसरा नम्बर 676/0.40 है0 वाके ग्राम सालोली तहसील रैणी जिला अलवर का खातेदार काश्तकार है। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के पिता महेन्द्रसिंह की विरासत का नामांतकरण संख्या 132 वाके ग्राम सालोली तहसील रैणी दर्ज किया है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा सहवन से अपीलान्ट का नाम संतोष सिंह के स्थान पर सन्तूसिंह दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। अपीलाण्ट द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विधुत बिल, नल बिल की छायाप्रतियॉ पेश की गई है। इन दस्तावेजात में अपीलाण्ट का नाम संतोष सिंह अंकित है। सरंपच ग्राम पंचायत सालोली द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि विरासत का नामान्तकरण खुलने पर ग्राम पंचायत ने सन्तूसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह राजपूत राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेजों में सन्तोष सिंह दर्ज है केवल जमाबन्दियों में सन्तूसिंह गलत दर्ज हो गया। अतः राजस्व रिकॉर्ड में सन्तोष सिंह करने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। तहसीलदार रैणी ने अपनी जॉच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "प्रार्थी अपीलान्ट के पिता मृतक महेन्द्रसिंह पुत्र रणधीर सिंह की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम संतोष सिंह के स्थान पर बोलता नाम सन्तूसिंह दर्ज कर दिया गया। पटवारी मौका

रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 के अनुसार ग्राम सालोली में सन्तूसिंह व संतोष सिंह एक ही व्यक्ति का नाम है। रिकॉर्ड में संतोष सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह है जबकि गांव में प्रार्थी का चलता नाम सन्तूसिंह है। विरासत का नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सन्तूसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में नाम संतोष सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज है। अतः अपीलान्ट का नाम सन्तूसिंह के स्थान पर संतोष सिंह किया जाना उचित है।"

योग्य अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2049, हाल जमाबन्दी सम्वत 2073-76, विरासत इन्तकाल नम्बर 132, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विद्युत बिल, नल बिल का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज व रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट से अपील अपीलान्ट सही होने की पुष्टि होती है तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा इतंकाल सख्या 132 आदेश दिनांक 23.06.1995 ग्राम पंचायत सालोली को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को प्रकरण प्रेतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपीलाण्ट के वास्तविक नाम की सम्यक जॉच कर पुनः विधिसम्मत इतंकाल निर्णित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)